


प्रादेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के कर्मिक एवं दिनांक
2-05-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार रूक-रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, परन्तु ना तो आवेदक उपस्थित ना ही वादी अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय हुये। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद को चलाने की कोई रूचि नही है। फलवरूप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ</p>	

